

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-5 एवं धारा-19 में कर्मशः लोक सूचना अधिकारियों तथा सहायक लोक सूचना अधिकारियों एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियों के सम्बन्ध में प्राविधान किये गये हैं । इन व्यवस्थाओं के अधीन प्रोटोकाल विभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय के आदेश संख्या-186/XXXIII/2006 दिनांक 08 अगस्त, 2006 को, तत्कालीन अधिकारीगण के प्रोटोकाल विभाग से स्थानान्तरण हो जाने के कारण, संशोधित करते हुए लोक सूचना अधिकारी तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी को इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्दिष्ट कार्यों हेतु निम्नानुसार नामित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क. सं.	लोक प्राधिकारी इकाई का नाम	लोक सूचना अधिकारी	प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी
क	ख	ग	घ
1	प्रोटोकाल विभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून	श्री के०एस० बिष्ट, उप सचिव	श्री किशन नाथ, अपर सचिव

2- इन कार्मिकों को इन कार्यों हेतु अलग से कोई वेतन/भत्ता देय नहीं होगा ।

एम० एच० खान


सचिव

संख्या- 210 (1)/XXXIII/2007, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन ।
- (2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
- (3) स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
- (4) आसुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमायूँ मण्डल ।
- (5) समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
- (6) निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय, देहरादून ।
- (7) गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,


(किशन नाथ)
अपर सचिव